

:: कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर (म.प्र.) ::

:: विज्ञप्ति ::

सर्वसाधारण को इस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है कि जिला न्यायालय, शाजापुर के प्रतिलिपि अनुविभाग, शाजापुर में प्रायवेट फोटोकॉपियर मशीन स्थापित किया जाना है।

अतः इस विज्ञप्ति की निविदा शर्तों के अधीन जो सरस्था या व्यक्ति इस स्थापना पर फोटो कॉपियर मशीन स्थापित किये जाने हेतु इच्छुक हो, वे कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर में कार्यदिवस के दौरान उपस्थित होकर निविदाओं की आवश्यक शर्तों की जानकारी प्राप्त कर शर्तों के अनुसार निविदा दिनांक-15/07/2025 शाम 5:00 बजे तक जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर के कार्यालय में जमा कर सकते हैं। नियत समयावधि उपरांत प्राप्त होने वाली निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।

उक्त कार्य हेतु प्राप्त निविदाओं को दिनांक-16/07/2025 को शाम 5:00 बजे निविदाकर्ता/अधिकृत प्रतिनिधि (यदि उपस्थित हो तो) के समक्ष खोला जावेगा।

इस हेतु विस्तृत विवरण कार्यालय से कार्यालयीन समय में एवं माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर की वेबसाईट www.mphc.in एवं www.tenders.gov.in एवं जिला न्यायालय शाजापुर की वेबसाई <https://shajapur.dcourts.gov.in> पर भी देखा जा सकता है।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
शाजापुर म.प्र.

23 JUN 2025

:: कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर (म.प्र.) ::

माननीय उच्च न्यायालय मप्र जयलपुर के ज्ञापन क्रमांक-Reg(II)(SA)/2024/938

दिनांक-02.07.2024 के निर्देशानुसार जिला न्यायालय में प्रतिलिपि कार्य के लिए शर्त :-

01 एक बंद लिफाफे में सीलबंद निविदा पूर्ण रूप से भरी हुई 10,000/- (दस हजार रुपये) की बैंक ग्यारंटी के साथ जो कि एफ.डी.आर. या डिमांड ड्राफ्ट के रूप में हो एवं 6 माह की अवधि के लिए वैध हो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला न्यायालय शाजापुर में आवश्यक रूप से दिनांक-15.07.2025 को शाम 05.00 बजे तक जमा हो जानी चाहिये। अपूर्ण/सशर्त/देरी से प्रस्तुत निविदा अथवा बिना बयाने की राशि के अथवा बिना किसी कर/लागत के समावेश, की निविदाएं निरस्त की जावेगी।

02. निविदाएं दिनांक-16.07.2025 को समय शाम 05.00 बजे जिला न्यायालय की निर्माण समिति अध्यक्ष के विश्राम कक्ष में उन सभी उपस्थित व्यक्तियों जिन्होंने निविदाएं प्रस्तुत की हैं अगर उपस्थित हो तो उनके समक्ष खोली जावेगी। निविदा की नियम, शर्तों एवं दरों में कांटछांट, परिवर्तन या सुधार नहीं होना चाहिये। सभी प्रारूप/संलग्नक-1 हस्ताक्षरित होना चाहिए एवं उस पर संस्था की सील होनी चाहिए।

03. जिसकी निविदा चुनी जावेगी उसे संस्वीकृति पत्र के प्राप्त होने के 15 दिवस में परफॉरमेंस ग्यारंटी के रूप में पॉच प्रतिशत संभावित अनुबंध राशि की बैंक ग्यारंटी एफ.डी.आर./अकाउंट पेयी डिमांड ड्राफ्ट के रूप में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पक्ष में देनी होगी। परफॉरमेंस सुरक्षा निधि अनुबंध के समाप्त होने के दिन से 60 दिनों के लिए वैध होगी, जिसमें वारंट/त्रुटि उत्तरदायित्व, यदि हो, भी शामिल होंगे।

04. संस्था द्वारा प्रतिलिपि प्रति कॉपी की दर के हिसाब से समस्त करें एवं शासकीय देयकों को सम्मिलित कर प्रदाय की जावेगी। एक पेज के एक तरफ की प्रति/एक पेज के दोनों तरफ की प्रति दोनों के लिए पृथक से दर आवश्यक रूप से दर्शायी जानी चाहिये।

05 फोटोकॉपी मशीन जिला न्यायालय परिसर में प्रत्येक निर्देशानुसार स्थापित करनी होगी। कार्यालय समय में फोटोकॉपी मशीन की उपस्थिति का ठेकेदार को सुनिश्चित करना होगा।

06 दर का अनुबंध दर अनुबंध/कार्य आदेश की अधिसूचना दिनांक से कम से कम एक वर्ष के लिए वैध होगा। सेवा में सतुष्टि के आधार पर अनुबंध का समय प्रतिवर्ष के हिसाब से समान नियम एवं शर्तों पर प्रतिवर्ष अधिकतम तीन वर्ष तक की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।

07 कोई अग्रिम सदाय नहीं किया जाएगा। अनुबंध की अवधि में दरों में परिवर्तन नहीं किया जाएगा एवं नियमानुसार कर काटा जाएगा। सिर्फ संवैधानिक दायका जो कि शासन द्वारा अधिसूचना/नियमों के द्वारा परिवर्तित किया जाता है, को छोड़कर अनुबंध की अवधि में दर की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अतः संस्था जो कि निर्धारित राशि एक वर्ष के लिए प्रभारी रख सके, वही आवदन करें।

08 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के निर्देशानुसार मशीनों की संख्या कार्य के अनुसार जरूरत के हिसाब से कम अथवा ज्यादा की जा सकती है, परंतु ठेकेदार को बिना रुकावट के कार्य को संपन्न करना होगा। अतिरिक्त व्यक्ति की भी व्यवस्था की जानी चाहिये, जिससे कि कार्यालय के कार्य में रुकावट न हो।

09 कोई परिवहन या अन्य व्यय देय नहीं होंगे।

10 ठेकेदार फोटोकॉपी मशीन के रखरखाव के लिए जिम्मेदार होगा। स्टेशनरी जैसे उत्तम गुणवत्ता वाले कागज (75 जीएसएम), टोनर, स्टेप्लर पिन और अन्य लागत ठेकेदार द्वारा वहन की जावेगी। फोटोकॉपी मशीन को चलाने के लिए पर्याप्त व्यक्ति को रखने की तथा उन पर होने वाले व्यय का उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।

11 ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि फोटोकॉपी कार्य कार्यालय में आसानी से हो सकें और कार्य में किसी प्रकार की रुकावट न हो अगर कार्य में रुकावट होगी तो 500/- रुपये प्रतिदिन के हिसाब से पेनल्टी अधिरोपित की

जावेगी इसके अतिरिक्त फोटोकॉपी के कार्य में बाजार में ज्यादा मूल्य प्राप्त करने पर कंसाश लललत वलल/संस्था की परफॉरमेंस सुरक्षा नललल ग कलली जललगी।

12. आदेशलत कार्य को पूरा करने के ललल जलस फलललकॉपी मशीन की ग्वागनल की जलनी है वह एक वर्ष से ज्वादा पुरानी नलली लुनी वलललल और ठेकंदार को उक्त मशीन के मॉडल/वर्ष के सत्यापन हेतु कय की गई मशीन का वलल प्रगुल कललल होगा।

13. संस्था द्वारा लगाई जाने वाली फोटोकॉपी मशीन की वनलवट और मॉडल की जानकारी सर्वलस टेक्स का प्रमाण टलन नंबर और केन्द्र साशलत मंत्रलल/अन्य सरकारी कार्यालयल/अंडरटेकलंग या अन्य प्रतिष्ठलत संस्था जलनको की ठेकंदार द्वारा फलललकॉपी की आउटसोर्सलंग सेवा प्रदान की गई हो के प्रमाण के दस्तावेज तथा संतुष्टलपूर्ण कार्य की रलपोल्ट, पूर्ण वलवरण जैसे पता, ऐसे वलकलत का नाम जलससे संपर्क कललल जा सकें, इस नलवलदा के साथ उक्त दस्तावेज संलग्न कलले जाने चाहलल।

14. यह ठेकंदार का दलललतव होगा कल न्वायालय के दस्तावेज कलसी अनाधलकृत वलकलत तक न पहुंच पाये। इस शलत का उल्लंघन पर कठोर परलणलम भुगतना हांगे और अनुबंध वलनल कलसी सूचना के ई.एम.डी./नलषादन प्रतिभूतल और लललत वललल को ङुडकर समाप्त कललल जा सकेंगा।

15. अनुबंध के नलषादन के दुरलन ठेकंदार उसके द्वारा उपयोग में ली जाने वाली सामग्री की उच्च गुणवत्ता का ध्यान रखेंगा। ठेकंदार के कोई भी भ्रष्ट या कपटपूर्ण कार्य करने पर अनुबंध समाप्त कललल जा सकेंगा और नलषादन प्रतिभूतल को जप्त कललल जा सकेंगा और उसे ब्लेकललरस्टेड कललल जाकर उस पर नललमानुसार कार्यवाही की जा सकेंगी।

16. प्रधान जलला एवं सत्र न्वायाधीश की अनुमतल के वलनल उपपट्टे को अमान्य कललल जलललगा।

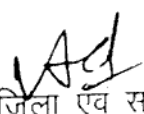
- 17 अनुबध क निष्पादन क दौरान यदि किमी की मृत्यु या दुर्घटना अथवा भौतिक सम्पत्ति की हानि होती है तो दी गई छूट क अतिरिक्त समस्त जवाबदारी ठेकेदार की होगी।
- 18 जिला न्यायालय केवल विद्युत एवं खाली जगह की सुविधा ठेकेदार को बिना किसी शुल्क के प्रदाय करेगा अन्य कोई सुविधा नहीं।
- 19 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश या ठेकेदार एक माह पूर्व सूचना देकर अनुबधा को समाप्त कर सकते हैं, यदि कोई भी पक्ष अनुबध की शर्त का उल्लंघन करता है।
- 20 ठेकेदार या उसके स्टॉफ के किसी सदस्य के द्वारा जानबूझकर या अन्यथा कार्य की गुणवत्ता में कोई गंभीर त्रुटि की जाने पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को उस पर पेनल्टी अधिरोपित करने का अधिकार होगा।
21. यदि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दी जाने वाली सेवा की गुणवत्ता संतुष्ट नहीं है या ठेकेदार या उसके किसी कर्मचारी के व्यवहार से संतुष्ट नहीं है तो वे 24 घंटे के अंदर उसमें सुधार करने का नोटिस उसे दे सकते हैं और प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को यह अधिकार होगा कि वे उस पर पेनल्टी अधिरोपित करने के साथ उचित कदम उठा सकते हैं।
22. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश केवल ठेकेदार द्वारा की गई फोटोकॉपी का ही मूल्य अदा करेंगे। यदि अनुबध की किसी शर्त का उल्लंघन होता है या दिया गया कार्य पूर्ण नहीं होता है तो अनुबध में वर्णित अन्य उपचार को सुरक्षित रखते हुए 500/- रुपये प्रति घटना/प्रतिदिन के हिसाब से लंबित बिलों से अनुबध राशि की अधिकतम 10 प्रतिशत राशि काटी जा सकेगी तथा उसे उसके कार्य का मूल्य देने से इन्कार भी किया जा सकेगा यदि पृष्ठ या प्रिंटिंग इत्यादि संतोषजनक न हो।
- 23 अनुबध का निष्पादन ठेकेदार की जिम्मेदारी है और स्थल पर कार्य की सुरक्षा उसकी जिम्मेदारी होगी।

24. अनुबंध के दौरान केंद्र सरकार और स्थानीय प्राधिकरण द्वारा निर्मित नए भविष्य में अधिसूचना द्वारा श्रम अधिनियम के अंतर्गत पारित किये जाने वाले समस्त नियम अधिनियमों का अनुबधकर्ता पूर्ण समय पालन करेगा। यदि ठेकदार के विरुद्ध सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसके कार्य से किसी नियम या अधिसूचना द्वारा संचालित अधिनियम का उल्लंघन किये जाने पर उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाती है तो वह नियोक्ता (प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश) को क्षतिपूर्ति देगा।

25. अनुबंध के दौरान ठेकदार के किसी कार्य या लापरवाही से अगर जिला न्यायालय की किसी संपत्ति की क्षति होती है या चोरी होती है तो ठेकदार का उस अपने स्वयं के व्यय से पूर्ति करना होगा।

26. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी निविदा को पूर्णतः बिना कोई कारण बताये निरस्त कर सकेंगे।

27. यदि दोनों पक्षों के मध्य अनुबंध को लेकर कोई विवाद होता है तो उसे बातचीत से सुलझाने का प्रयत्न किया जावेगा, परंतु बातचीत से कोई हल न निकल पाने की स्थिति में उसे एकमात्र मध्यस्थ (सोल आरबीट्रेटर) जो कि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर होंगे के समक्ष रखा जावेगा और उनके द्वारा दिया गया अधिनिर्णय/निर्णय अंतिम होगा और दोनों पक्षों पर लागू होगा। मध्यस्थता की कार्यवाही पंचाट और सुलह अधिनियम 1996 के अंतर्गत की जावेगी।


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
शाजापुर म.प्र. 23 JUN 2025

:: OFFICE OF THE DISTRICT & SESSIONS JUDGE,
SHAJAPUR (M.P.) ::

// ANNEXURE-1 //

LIMITED TENDER PERFORMA FOR OUTSOURCE
PHOTOCOPY WORK

1- Rate Quotation of the Tender (INCLUSIVE OF ALL TAXES) :

S.No.	Particulars	Rate per copy with Paper (A-4 size J.K/ orient/bilt matrix Board paper, 75 gsm)	Rate per copy with (legal size of J.K/ orient/bilt matrix Board paper, 75 gsm Paper)
1-	Single side photocopy on one sheet		
2-	Photocopy on back to back side on one sheet		

2- Machine Model No. and

Make_____

3- Earnest money details :

_____date_____for

Rs. 10000/- Name of

Bank_____

4- PAN No._____

5- TIN No._____

The terms and conditions of the tender are acceptable to me/us.

Signature_____

Name & Address with seal & Date_____

Phone (O)_____

(M)_____

(R)_____